न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री गोपाललाल स्वर्णकार आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या– 25 / 2013(राजस्व वाद)

दायद दिनांक–28.1.2013
फैसल दिनांक– 13/2/19

अनवान

1– जयकृष्ण दर्जी पिता धुलजी दर्जी निवासी ओबरी हाल मुकाम वरदा तहसील सागवाडा
(वादी)

बनाम

1– हरिशचन्द्र पिता कचरूजी दर्जी निवासी ओबरी
2– प्रवीण पिता रामलाल दर्जी निवासी ओबरी
3– दिलिप पिता रमणलाल दर्जी निवासी ओबरी
4– अनोपसिंह पिता जसवन्तसिंह चोहान निवासी ओबरी
5– लालशंकर पिता सवाजी भाटिया निवासी ओबरी
6– लक्ष्मणदास पिता नारायणदास साधु निवासी ओबरी
7– राज्यसरकार जरिये तहसीलदार सागवाडा.

(प्रतिवादी)

वकील वादी – श्री चन्द्रशेखर शुक्ला
वकील प्रतिवादी – श्री मयक दोसी

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने इस आशय का कि प्रतिवादीगण वादी के कब्जे एवं स्वामित्व की जमीन पर आने जाने के मार्ग में व्यवधान पैदा नही करें ,उस पर अतिक्रमण नहीं करें ,वे ओबरी सीमलवाडा मुख्य सडक की परिधि के 35 फीट के भीतर जबरन एंव अनाधिकार पूर्वक अतिक्रमण नहीं करें एवं काश्त की भूमि पर बिना मंजूरी के दुकानों का तामिर कार्य कर वादी के हक हकूक पर व्यवधान पैदा नहीं करें एंव नही करावे।
अन्तर्गत धारा 88,188,209 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

निर्णय

वाद वादी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी के कब्जे एवं स्वामित्व की एक जगीन मोजा ओबरी के जमाबन्दी संवत 2062–70 तक के अनुसार खाता नं0 211 पुराना 191 में कुल 6 खेत रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा के स्थित है जो कमशः 1649,2614,2616,2620,2963 ,3080 है । जिनका रकबा कमशः 6बिस्वा,13 बिस्वा,16 बिस्वा,5बिस्वा,एवं 12 बिस्वा के हैं जिनमें वादी का लम्बे समय से कब्जा एवं स्वामित्व चला आ रहा है । यह कि उक्त जगीन खसरानम्बर 1649 रकबा 6 बिस्वा आबादी आवासीय के ठीक आगे पूर्व दिशा तरफ प्रतिवादीगण द्वारा जबरन एवं अनाधिकार पूर्वक उसके ठीक आगे से होकर गूजर रही ओबरी सीमलवाडा मुख्य सडक की 35 फीट की परिधि की भीतर ही व्यवसायिक दुकानों का निर्माण कार्य शुरू कराया गया है । जबकि राज्य सरकार के द्वारासडक के तय मापदण्ड का भी प्रतिवादीगण खूले आम उल्लंघन कर रहे है। प्रतिवादीगण ने ग्राम पंचायत की बिना स्वीकृति के उक्त अवैद्ध दुकानों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया है जबकि कृषि भूमि पर व्यवसायिक

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner

दुकानों का निर्माण कार्य कानूनी रूप से नहीं हो सकता है । यह कि प्रतिवादीगण अपने निर्माण कार्य में मोजा ओबरी में स्थित मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण के स्वामित्व की खसरा संख्या 1654 रकबा 7 बिस्वा की भूमि के कुछ भाग पर भी जबरन अतिक्रमण कर रहे है। जबकि जमाबन्दी संवत 2067–70 के खाता नम्बर 698 पुराना 666 के खाते में लक्ष्मीनारायण मन्दिर का कब्जा एवं स्वामित्व दर्ज किया हुआ है । यह कि वादी अपने कब्जे एवं स्वामित्व की जमीन पर लम्बे समय से आवागमन करता आ रहा है उस आवागमन के मार्ग पर भी प्रतिवादीगण जबरन एवं अनाधिकार पूर्वक अतिक्रमण करने की चेष्टा कर रहे हैं । अतः वादी ने वाद के अन्त में वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने कि प्रतिवादीगण वादी के कब्जे एवं स्वामित्व की जमीन पर आने जाने के मार्ग में व्यवधान पैदा नहीं करें उस पर अतिक्रमण नहीं करें एवं ओबरी –सीमलवाडा मुख्य सडक की परिधि के 35 फीट के भीतर जबरन एवं अनाधिकार पूर्वक अतिक्रमण नहीं करे एवं काश्त की भूमि पर बिना गंजूरी के दुकानों का तामिर कार्य कर वादी के हक हकूक पर व्यवधान पैदा नही करें एवं न ही करावें । वादी ने यह भी निवेदन किया है कि दौराने दावा यदि प्रतिवादीगण वादी के उक्त आवागमन के मार्ग में रूकावट डालते हैं एवं रास्ता बन्द करते हैं तो उक्त अवरोध को हटाया जावे एवं उसके तामिर कार्य को ध्वस्त किया जावे ।

वादी की ओर से वाद की पुष्टि में शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए जमाबन्दी मोजा ओबरी संवत 2062–70, जमाबन्दी ग्राम ओबरी खातेदार लक्ष्मीनारायणजी मन्दिर ,नक्शा ट्रैस , प्रार्थना पत्र दिनांक 21.1.2013 श्रीमान कलक्टर सा0 को प्रस्तुत की प्रति प्रस्तुत की गई है।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किए गए ।

प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 27.2.2014 को जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें वादी वर्तमान में गांव वरदा में सपरिवार निवास करना ,वर्तमान में खसरा नम्बर 1649 की भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं होना ,वादी की खातेदारी खसरा नम्बर 1649 की भूमि आबादी में संपरिवर्तित होकर वर्तमान में आबादी में होना ,इसके आगके प्रतिवादी संख्या 6 की खातेदारी खसरा नम्बर 1650,1651 स्थित होना तथा इस पर निर्माण करनके का उसे पुरा अधिकार होना ,वादी की भूमि के आगे लक्ष्मीनारायण मन्दिर की खसरा संख्या 1654 की रकबा 7बिस्वा भूमि है जिस पर गांव की एक कमेटी जो मन्दिर की भूमि की सुरक्षा व विकास हेतु बनी हुई है उसके द्वारा मन्दिरकी भूमि पर मन्दिर के विकास हेतु निर्माण कार्य कराना ,प्रतिवादीसंख्या 1 से 5 के द्वारा मन्दिर की भूमि पर कोई निर्माण कार्य स्वयं के बलबूते पर नहीं कराया जाना ,तथा सडक मापदण्ड का यदि कोई उल्लंघन किया जा रहा है तो इसके लिये लोक निर्माण विभाग एक आवश्यक पक्षकार है जिसे पक्षकार नही बनाया जाने से यह वाद पत्र नही चलना बताया गया है ।प्रतिवादी संख्या 6 अपनी निजी भूमि पर निर्माण कार्य कर रहा हे यदि उसके द्वारा ग्राम पंचायत की स्वीकृती नही ली गई है तो वादी को ग्राम पंचायत के समक्ष कार्यवाही करनी चाहिए थी । प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के द्वारा किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नही कराया जा रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के द्वारा लक्ष्मीनारायण मन्दिर की भूमि पर या उसके किसी भाग पर अतिक्रमण कर निर्माण कार्य नही कराया जा रहा है । मन्दिर की भूमि पर मन्दिर की समिति के द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा हे जिसे इस वाद में पक्षकार नहीं बनाया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 6 को गलत तरीके से पक्षकार बनाया गया है ।

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

Scanned by CamScanner

दावा राजस्व न्यायालय में नही चल सकता है । आराजीयात 1650 एवं 1651 में कोई रास्ता दर्ज नही है । आराजी नम्बर 1654 कर खातेदार लक्ष्मीनारायण मन्दिर है उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है अतः दावा चलने योग्य नही है । सडक के मध्य बिंदु से 35 फीट पर निर्माण कार्य करना नियमों की अवहेलना है तो सार्वजनिक निर्माण विभाग को पक्षकार क्यों नही बनाया गया । वादी का आवागमन का रास्ता कचरू पिता गमीरा दर्जी के मकान के पास मौजूद है फिर रास्ता क्यों मांगता है ? प्रतिवादी की भूमि वादी की भूमि से 12 फीट उच्च तल पर है फिर यह आना जाना कैसे होगा ?

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्धान अभिभाषक वादी एंव प्रतिवादीगण की बहस पर मनन किया ।

पत्रावली में प्रस्तुत प्रदर्श –1 जमाबन्दी मोजा ओबरी खाता संख्या 211 संवत 2067–70 में खसरा नम्बर 1649 रकबा छः बिस्वा किस्म आबादी आवासीय दर्ज रेकार्ड है ।वाद वर्णित अन्य कथन के सम्बन्ध में वकील प्रतिवादी का यह कथन कि आराजी नम्बर 1654 कर खातेदार लक्ष्मीनारायण मन्दिर है उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है अतः दावा चलने योग्य नही है । सडक के मध्य बिंदु से 35 फीट पर निर्माण कार्य करना नियमों की अवहेलना है तो सार्वजनिक निर्माण विभाग को पक्षकार क्यों नही बनाया गया । वादी का आवागमन का रास्ता कचरू पिता गमीरा दर्जी के मकान के पास मौजूद है फिर रास्ता क्यों मांगता है ? प्रतिवादी की भूमि वादी की भूमि से 12 फीट उच्च तल पर है फिर यह आना जाना कैसे होगा से हम सहमत है।

चूँकि विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड में किस्म आबादी दर्ज रेकार्ड है एवं आबादी भूमि का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नही है ।

अतः वाद वादी खारीज किया जाता है । डिक्री पर्चा जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 19/2/15 को खूले न्यायालय में सुनाया गया ।खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो ।

(गोपाललाल अग्रवाल)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner